

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 जनवरी 2026 — पौष 22, शक 1947

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक एफ 07-1/2019/जनगणना/गृह-दो.— जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(i) के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा, सामान्य जानकारी के लिए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 4698 (E) दिनांक 07 जनवरी, 2026 को निम्नानुसार पुनः प्रकाशित करती है:—

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी, 2026

का.आ. 99 (अ) — केंद्रीय सरकार, जनगणना नियम 1990 के नियम 6क और नियम 6घ के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 और धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 9 जनवरी, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 119 (अ) तारीख 7 जनवरी, 2020 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2027 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल, 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाएगा। स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि तीस दिन की घर-घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य आरंभ होने से ठीक पहले पंद्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जाएगा ।

[फा. सं. 9/8/2025-सीडी (सीइएन)]

मृत्युंजय कुमार नारायण,
महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th January 2026

NOTIFICATION

No.F-07-1/2019/Census/Home-2.— In pursuance of Rule 8(i) of the Census Rules, 1990, the State Government hereby, for general information, re-publishes the Notification No. S.O. 4698(E) dated 7th January, 2026 of the Ministry of Home Affairs, Government of India, as under :-

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office Of Registrar General, India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2026

S.O. 99(E).- In exercise of the powers conferred by section 3 and section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rules 6A and 6D of the Census Rules, 1990 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General, India) number S.O. 119(E), dated the 7th January, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th January, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares that the houselisting operations of the Census of India 2027 shall take place between 15t April, 2026 and 30th September, 2026 in all States and Union territories in India during the period of thirty days specified by each State and Union territory. There shall also be an option for self- enumeration which shall be conducted in fifteen days' time period just before the start of house to house houselisting operations of thirty days.

[F. No. 9/8/2025-CD(Cen)]
MRITUNJAY KUMAR NARAYAN,
Registrar General and Census Commissioner, India

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.